न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(रा०)

प्रकरण संख्या 143/2017 D-N: 420

रमेश चन्द्र धाकड बनाम भँवरलाल धाकड

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

दिनांक 26/5/17

– आदेश :–

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री रमेश चन्द्र धाकड ने जरिये श्री अरविन्द कुमार वैष्णव ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एक खाते की भूमि ग्राम खेरखरा प0ह0 लाडपुरा तह0 माण्डलगढ मे 623

किता 1 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान करे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलगन जमाबंदी सम्वत् के अवलोकन से प्रार्थी आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद का शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नहीं है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार कर ग्राम खेरखरा की आराजी न0 623

रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा खाते की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी के आदश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया कमीशनर फीस 250/– रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करे पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।